जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 212 वीं बैठक दिनांक 26.03.2014 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में ''चिन्तन'' कक्ष मे आयोजित की गई। बैठक मे एजेण्डा संख्या–1 एवं 2 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक एमपी/बीपीसी (एलपी–।) द्वारा एवं एजेण्डा संख्या 3 से 5 व अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1 एवं 2 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) द्वारा प्रस्तुत किये गये एवं बैठक में लिये गये निर्णयो का कार्यवाही विवरण संबंधित अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक द्वारा तैयार किये गये है, जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक मे समिति के निम्न सदस्यो ने भाग लियाः–

1. श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती नलिनी कटोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री चन्द्रशेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक (एमपी/बीपीसी–।)/सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री नीरज तिवाडी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (एलपी–।।) जविप्रा, जयपुर।

बैठक मे निम्न अधिकारी उपस्थित हुएः–

1. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक, (एमपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अवधेश सिंह, उपायुक्त जोन–12, 12ए एवं 12बी, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओमप्रकाश जांगिड, उपायुक्त जोन–6 जविप्रा, जयपुर।
5. श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री बीरबल राम चौधरी, उपायुक्त जोन–1, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री मृणाल जोशी, उप नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती ऊषा जैन, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
10. सुश्री अमिता सिंह, सहायक नगर नियोजक, जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत), बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–

<u>एजेण्डा</u>

212 / 26.03.2014

विषय :– बीपीसी (एलपी) की बैठक क्रमांक 211 वीं बैठक दिनांक 10.03.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन।

बीपीसी (एलपी) की 211 वीं बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांकः जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एल.पी.) / बीपीसी / 2014 / डी–259 दिनांक 19.03.2014 को जारी किये जा चुके हैं। समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

<u>एजेण्डा–1</u>

212 / 26.03.2014 (जोन–5)

विषय :– हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम वाटिका में 40 फीट सैक्टर रोड को विलोपित करने के संबंध में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि श्याम वाटिका योजना में 40 फीट सेक्टर रोड को विलोपित करने के स्थान पर मौके पर चालू 30 फीट चौडी सडक के अनुसार डायवर्ट करते हुये इसकी चौडाई 40 फीट रखी जावें। जहां पर उक्त सडक की चौडाई 30 फीट है वहां भूखण्डों के अग्र सैट बैक में से रोड़ के दोनों ओर बराबर भू–पट्टी ली जाकर रोड की चौडाई 40 फीट रखी जावें।

<u>एजेण्डा संख्या–2</u>

212 / 26.03.2014 (जोन–6)

विषय :– भैरव गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर ए के भूखण्ड संख्या 1 व 2 के मध्य प्रस्तावित 40 फीट सडक को विलोपित कर भूखण्ड संख्या 2 का नियमन करने बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

<u>एजेण्डा संख्या–3</u>

212 / 26.03.2014 (जोन–7)

विषय :– गुलाब बाड़ी गृ.नि.स.स. की आवासीय योजना गुलमोहर लेन के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 व 6ए में से भूखण्ड संख्या 6ए क्षेत्रफल 408 वर्गगज का उप–विभाजन करने बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड के प्रस्तावित उप–विभाजन का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड के उप–विभाजन का है अतएव राज्य सरकार से स्वीकृति ली जाकर नियमानुसार सम्पूर्ण भू–भाग का उप–विभाजन शुल्क जमा करवा कर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावें।

एजेण्डा संख्या–4

212 / 26.03.2014 (जोन–11)

विषय :– निजी खातेदार की आवसीय योजना श्री कृष्णा विहार–प्रथम 400 के.वी. एच.टी. लाईन से प्रभावित है जिसका प्रार्थी द्वारा सैफ्टी कोरीडोर 170 फिट एवम् दोनो ओर 40–40 फिट की रोड़ प्रस्तावित कर योजना मानचित्र अनुमोदन करवाया जाकर कैम्प आयोजित किया जा चुका है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि अनुमोदित सेक्टर प्लानों के क्षेत्र में एच.टी. लाईनो के सैफ्टी कोरीडोर को यथावत रखा जावें एवम् सेक्टर प्लान के बाहरी क्षेत्रों में गुजरने वाली एच.टी. लाईनों के दोनो ओर के कमिटमेंट जोन स्तर से लगवाये जावें।

एजेण्डा संख्या–5

212 / 26.03.2014 (जोन–12)

विषय :– श्री कृष्णा वन विस्तार आवासीय योजना अनुमोदन हेतु राजस्व ग्राम श्री रामगोपालपुरा उर्फ भोज्यावास तह. सांगानेर के खसरा नं. 51 / 594, 53, 52, 630 / 52, 57 / 592, 56 / 591, 54 / 590, 54, 56, 57, 58, 78 / 593, 634 / 56, 48, 49, 50 व 51 कुल किता 17 कुल रकबा 11.41 हैक्टेयर के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। योजना की भूमि 11.41 हैक्टेयर की 90क की कार्यवाही आदेश दिनांक 08.11.2013 व दिनांक 18.12.2013 द्वारा पूर्ण हो चुकी है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना के भू.सं. ए–243 व ए–244 को व इसके पूर्व में दर्शित पार्क के पुरे क्षेत्र को सुविधा क्षेत्र रखते हुये संशोधित योजना मानचित्र लिया जावें। इस प्रकार संशोधित मानचित्र को निदेशक आयोजना से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–1

212 / 26.03.2014 (जोन–10ए)

विषय :– ग्राम टोडी रमजानीपुरा जगतपुरा में स्थित निजी खातेदारी योजना 'पाम कोर्टस' के श्री गजसिंह व मैसर्स गोल्डन ड्यून्स होम्स एल.एल.पी. के कुल 8 भूखण्डों के पुनर्गठन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पामकोर्ट योजना के भूखण्डधारीयों की आपत्ति के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अग्रिम कार्यवाही के दिशा निर्देश हेतु भिजवाया जावें। राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–2

212 / 26.03.2014 (जोन–10)

विषय :– आवेदक श्री रामजीलाल मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा के द्वारा बाढ राघवदासपुरा तह. जमवारामगढ के आराजी खसरा नं. 5 कुल किता 1 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर भूमि पर योगा एवम् मेडिशन सेन्टर प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भूमि मास्टर विकास योजना 2011 में इकोलोजिकल क्षेत्र एवम् मास्टर विकास योजना 2025 में संस्थानिक उपयोग हेतु दर्शित है, जिनमें योगा एवम् मेडिशन सेन्टर अनुज्ञेय है, अतः भूमि का क्षेत्रफल 1.26 हैक्टेयर होने के कारण नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण का निष्पादन कर दिया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या–3

212 / 26.03.2014 (जोन–1)

विषय :– भूखण्ड संख्या बी–13 व बी–14 के मध्य में स्थित अतिरिक्त भू–पट्टी को माननीय उच्च न्यायालय के सिविल रिट पीटीशन नं. 11021 / 2008 दिनांक 23.01.2013 के निर्णय अनुसार उक्त भूमि का रास्ते हेतु आरक्षित किये जाने के निर्णय बाबत।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटीशन संख्या 11021 / 2008 दिनांक 23.01.2013 में लिये गये निर्णयानुसार भूखण्ड संख्या बी–13 के सामने 8'–9'' चौडी भू–पट्टी को सार्वजनिक रास्ते / रोड़ हेतु आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(हस्ताक्षर) 3.4.14
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा / मा. प्लान / बीपीसी (एलपी) / 2014 / डी– 262
दिनांकः 3/4/2014

प्रतिलिपिः–
1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति. आयुक्त (पूर्व) / पश्चिम / एलपीसी / भूमि, जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त, जोन–..............................जविप्रा, जयपुर।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
8. उप रजिस्ट्रार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर) 3.4.14
अति. मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।